

थाना वजीरगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टप्पेबाजी एवं वेश बदलकर महिलाओं को ठगने वाले गिरोह का भण्डाफोड़, 71.050 ग्राम सोना (कीमत लगभग 3,60,000 रुपये) एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 अवैध चाकू तथा 01 मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस समेत 03 अभि0गण गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16.10.2020 को थानाध्यक्ष वजीरगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 03 अभि0गण 1. अय्यूब अली पुत्र शराफत अली निवासी ग्राम बैहटरा थाना वजीरगंज जनपद बदायूं, 2. अजमेरी उर्फ खेरा शाह पुत्र छोटे शाह निवासी ईखू थाना फराह जनपद फिरोजाबाद तथा 3. मुकेश रस्तोगी पुत्र श्यामचरन रस्तोगी निवासी श्रीराम कॉलोनी मढी फेस-1 थाना कोतवाली जनपद बदायूं को 71.050 ग्राम सोना (कीमत लगभग 3,60,000 रुपये) एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 अवैध चाकू तथा 01 मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 427/20 धारा 411/413/414/420 भादवि बनाम 1. अय्यूब अली, 2. अजमेरी तथा 3. मुकेश रस्तोगी, मु0अ0सं0 428/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अय्यूब अली उपरोक्त तथा मु0अ0सं0 429/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अजमेरी उपरोक्त पंजीकृत किया गया । दौराने पूछताछ अभि0गण द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने तथा अन्य जिलों में बाबा का वेश बनाकर घर-घर जाकर भीख मांगते हैं और घरों में रह रही अकेली महिलाओं को देखकर उनको अपने जाल में फंसाकर उनके पारिवारिक कष्ट दूर करने की बात बताकर तथा पैसे व जेवरात को दोगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी से लोगों का सारा जेवर आदि लेकर फरार हो जाते हैं । यह सारा जेवर हम कस्बा वजीरगंज में मुकेश रस्तोगी उपरोक्त को उसकी सोने की दुकान पर बेच देते हैं । जिसके बाद मुकेश सारे सोने को गलाकर ईंट का रूप दे देता है और हम लोगों को काफी अच्छा मुनाफा होता है । यह सारा धंधा हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं । गिरफ्तार अभि0गण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभि0गण का विवरण-

1. अय्यूब अली पुत्र शराफत अली निवासी ग्राम बैहटरा थाना वजीरगंज जनपद बदायूं,
2. अजमेरी उर्फ खेरा शाह पुत्र छोटे शाह निवासी ईखू थाना फराह जनपद फिरोजाबाद तथा
3. मुकेश रस्तोगी पुत्र श्यामचरन रस्तोगी निवासी श्रीराम कॉलोनी मढी फेस-1 थाना कोतवाली जनपद बदायूं ।

विवरण बरामदगी- 1. सोना 71.050 ग्राम (कीमत लगभग 3,60,000 रुपये), 2. एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 3. 01 अवैध चाकू तथा 4. 01 स्पलेण्डर प्लस मोसा नं RJ 02 SA 3396

आपराधिक इतिहास अभि० अय्यूब उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 427/20 धारा 411/413/414/420 भादवि थाना वजीरगंज जनपद बदायूं,
2. मु०अ०सं० 428/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद बदायूं ।

आपराधिक इतिहास अभि० अजमेरी उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 307/20 धारा 417/419/420 भादवि थाना अवागढ जनपद एटा
2. मु०अ०सं० 427/20 धारा 411/413/414/420 भादवि थाना वजीरगंज जनपद बदायूं,
3. मु०अ०सं० 429/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद बदायूं ।

आपराधिक इतिहास अभि० अय्यूब उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 427/20 धारा 411/413/414/420 भादवि थाना वजीरगंज जनपद बदायूं

विवरण पुलिस टीम- 1. थानाध्यक्ष वजीरगंज अमित कुमार, 2. उ०नि० संजय कुमार, 3. उ०नि० कमलेश सिंह, 4. कां० 1683 कपिल राघव, 5. कां० 1580 नितिन कुमार, 6. कां० 1949 आकाश कुमार तथा 7. कां० 1368 अंकित कुमार थाना वजीरगंज जनपद बदायूं ।

सोशल मीडिया सैल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं ।